न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 58 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. फगलूराम पुत्र पूराराम 2. मोहनराम पुत्र पूराराम 3. राणाराम पुत्र पूराराम 4. सोनाराम पुत्र पूराराम 5. कानाराम पुत्र पूराराम 6. रवाराम पुत्र मलाराम जाति मेघवाल निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. गोवाराम पुत्र केसाराम 2. सांवलाराम पुत्र वगताराम 3. चेलाराम पुत्र भावाराम 4. अणसीदेवी पत्नी वगताराम 5. दाडमीदेवी पत्नी सोहनलाल 6. कुलदीप पुत्र सोहनलाल 7. पूजा पुत्री सोहनलाल 8. प्रवीण पुत्र सोहनलाल 9. राधा पुत्री केहराराम उतरदाता संख्या 06 से 08 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता उतरदाता संख्या 5 दाड़मीदेवी जाति मेघवाल निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 10. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी 11. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 82 / 2022 बअनवान गोवाराम वगैरा बनाम फगलूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रामस्वरूप शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 15.01.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा 1475 रकबा 5.6980 हैक्टयर मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में आये हुऐ है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के सह खातेदारी का है तथा मौके पर मौखिक बंटवाड़ा कियाह हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से खुल्ले हुऐ है परन्तु विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इयलिये वादीगण अपने हिस्से की घोषणा, करवाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व किसी भी पक्षकार की साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वादी/उतरदातागण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी तथा न ही नोटिस दिया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी तथा न ही नोटिस दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व एक निश्चित तारीख मुर्कर कर उस दिन पक्षकारों को उपस्थित होने की लिखित सूचना देनी थी। लेकिन तहसीलदार गुड़ामालानीने आज्ञात्मक प्रक्रिया का पालन नहीं कर विभाजन प्रस्ताव गलत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव दावा पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये गये उसके बावजूद भी जानबुझकर जबावदावा पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस मौके पर उपस्थित थे लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। उसके बाद भी अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर एतराज कर सकते थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार एकतराज पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटस को पूर्व में गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने जानकारी नहीं थी तथा 20–25 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 1 हल्का पटवारी के साथ मौके पर आये तथा मोके पर अपीलांटगण के हिस्से में हस्तक्षेप कर बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा तथा हल्का पटवारी ने बताया कि इस भूमि का बंटवाड़ा हो गया है जिस कारण अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांटस ने आलोच्य निर्णय की नकल मांगी जो तैयार होकर दिनांक 18.05.2023 को प्राप्त होने पर अपीलांट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। हस्तगत अपील पेश करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से तहसीलदार स्वयं द्वारा पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। उसके बाद भी अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर एतराज कर सकते थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार एकतराज पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा अपनी उपस्थिति में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानीसे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2022 बअनवान गोवाराम वगैरा बनाम फगलूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2023 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर